जीसीएमएस नं. 2025/163

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 08/2025

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति अरोड़ा, निवासी भांभू कालोनी, तहसील श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर।
2. फर्म राघव गैस लाईट एवं वैरायटी स्टोर, सदभावना नगर मैन रोड, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 16.2 किलोग्राम एलपीजी गैस, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त 01 बांसूरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी रोशनलाल मोंगा स्वयं।

दिनांकः 28.11.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.10.2025 को सदभावना नगर, मैन रोड, श्रीगंगानगर स्थित दुकान राघव गैस लाईट एवं वैरायटी स्टोर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना परिचय श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति अरोड़ा निवासी भांभू कॉलोनी बताया एवं स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री रोशनलाल मोंगा की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान में छोटे– बडे गैस सिलेंडर व चूल्हा बेचने व वैरायटी स्टोर का कार्य/व्यवसाय होना पाया गया। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैस सिलेंडर व 1 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाले, 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा होना पाया गया। मौके पर पाए गए 03 गैस सिलेंडर में से 02 एचपी गैस एजेंसी व 01 इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर द्वारा अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू व 01 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री लालचंद यादव पुत्र श्री भीखाराम, निवासी नेहरी कॉलोनी, नाथांवाली श्रीगंगानगर**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

कार्यकर्ता नवपाल इंडेन गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा 02 घरेलू व 01 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस का अवैध गैस रिफलिंग में दुरूपयोग किया जा रहा था। **रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू व 01 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को ही बहत में दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 18.10.2025 को प्रार्थी की दुकान राघव गैस लाईट एवं वैराईटी स्टोर पर जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय स्टाफ प्रार्थी की दुकान से 2 बड़े सिलेण्डर व एक छोटा सिलेण्डर, एक काटां, बांसुरी आदि यह कहते हुए जब्त किया गया कि आप घरेलू गैस का रिफलिंग का अवैध कार्य करते हैं। श्रीमान् जी उक्त दोनों सिलेण्डर प्रार्थी ने अपनी गैस पासबुक से दिनांक 16.10.2025 व 17.10.2025 को भरवाये थे, जो दुकान पर ही डिलीवर करके गया था। प्रार्थी उक्त दोनों सिलेण्डर सांय को अपने घर पर ले जाने वाला था, लेकिन इससे पहले श्रीमान् जिला रसद अधिकारी व स्टाफ द्वारा जांच में उक्त सिलेण्डर जब्त कर लिये गये। प्रार्थी अपनी दुकान पर किरायाना का सामान विक्रय करता है, इसलिए उक्त काटां किरयाना सामान तोलने में इस्तेमाल किया जाता है। उक्त छोटा सिलेण्डर प्रार्थी द्वारा गैस चूल्हा, स्टोव आदि को रिपेयर कर चैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वह दुकान पर रखा हुआ था।

अतः जवाब पेश करके महोदय जी से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी अवैध गैस रिफलिंग का कार्य नहीं करता है। प्रार्थी के जब्त किये गये गैस सिलेण्डर व काटां आदि को प्रार्थी को लौटाये जाने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.10.2025 को सदभावना नगर, मैन रोड, श्रीगंगानगर स्थित दुकान राघव गैस लाईट एवं वैरायटी स्टोर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना परिचय श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति अरोड़ा निवासी भांभू कॉलोनी बताया एवं स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री रोशनलाल मोंगा की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान में छोटे– बडे गैस सिलेंडर व चूल्हाा बेचने व वैरायटी स्टोर का कार्य/व्यवसाय होना पाया

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गया। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैस सिलेंडर व 1 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाले, 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा होना पाया गया। मौके पर पाए गए 03 गैस सिलेंडर में से 02 एचपी गैस एजेंसी व 01 इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर द्वारा अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू व 01 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री लालचंद यादव पुत्र श्री भीखाराम, निवासी नेहरी कॉलोनी, नाथांवाली श्रीगंगानगर कार्यकर्ता नवपाल इंडेन गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा 02 घरेलू व 01 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस का अवैध गैस रिफलिंग में दुरूपयोग किया जा रहा था। **रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू व 01 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा को राजसात करने का आदेश किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.10.2025 को सदभावना नगर, मैन रोड, श्रीगंगानगर स्थित दुकान राघव गैस लाईट एवं वैरायटी स्टोर पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना परिचय श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति अरोड़ा निवासी भांभू कॉलोनी बताया एवं स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री रोशनलाल मोंगा की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान में छोटे– बडे गैस सिलेंडर व चूल्हा बेचने व वैरायटी स्टोर का कार्य/व्यवसाय होना पाया गया। मौके पर उक्त दुकान में 02 घरेलू गैस सिलेंडर व 1 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाले, 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा होना पाया गया। मौके पर पाए गए 03 गैस सिलेंडर में से 02 एचपी गैस एजेंसी व 01 इंडेन गैस कंपनी का है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर द्वारा अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है। मौके पर उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू व 01 छोटा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **श्री लालचंद यादव पुत्र श्री भीखाराम, निवासी नेहरी कॉलोनी, नाथांवाली श्रीगंगानगर कार्यकर्ता नवपाल इंडेन गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा 02 घरेलू व 01 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस का अवैध गैस रिफलिंग में दुरूपयोग किया जा रहा था। **रोशनलाल मोंगा पुत्र श्री जगन्नाथ** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू व 01 छोटा व्यावसायिक गैस सिलेंडर मय 16.2 किलोग्राम गैस, अवैध गैस रिफलिंग में प्रयुक्त 01 बांसुरी, 01 गैस पाईप एवं 01 कांटा को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)